भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1682
(जिसका उत्तर सोमवार, 13 फरवरी, 2023/24 माघ, 1944 (शक) को दिया जाना है।)

करदाता और संग्रहण

1682. **सुश्री महुआ मोइत्रा:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) व्यक्तिगत आयकर और कॉरपोरेट करदाताओं की कुल संख्या कितनी है और गत आठ वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक स्लैब के अंतर्गत उनसे कुल कितना कर राजस्व संग्रह किया गया है;

(ख) उक्त श्रेणियों के अंतर्गत सोल प्रोपराइटरशिप के व्यवसायों, एलएलपी और कॉरपोरेट कर के लिए विभिन्न कर स्लैब क्या हैं और उक्त श्रेणियों में कुल करदाता कितने हैं और उक्त अवधि के दौरान उनसे कुल कितना कर राजस्व एकत्र किया गया;

(ग) समान आर्थिक गतिविधियां करने वाले सोल प्रोपराइटर, एलएलपी और कॉरपोरेटों पर कर की भिन्न दर, यदि कोई हो, होने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत मजबूत संग्रहण को देखते हुए अधिभारों और उपकरों के अंतर्गत राजस्व के संग्रहण को रोकने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) तथा (ख): निर्धारण वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक के विभिन्न आयकर स्लैब्स के अतंर्गत आने वाले कॉरपोरेट और पर्सनल करदाताओं और साथ-ही-साथ व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा **अनुबंध-I** के अनुसार है। इसी **अनुबंध-I** में कॉरपोरेट और व्यक्तिगत आयकर के भुगतान का ब्यौरा भी दिया गया है।

पिछले आठ निर्धारण वर्षों के व्यक्तियों के कर स्लैब्स और एलएलपी तथा कॉरपोरेट्स (जिसमें घरेलू और विदेशी कंपनियां आती हैं) के लिए निर्धारित कर की दरें **अनुबंध-II** के अनुसार हैं।

एकल स्वामित्व (सोल प्रोपराइटरशिप) की अपनी कोई अलग श्रेणी नहीं होती है और इसे व्यक्तियों की श्रेणी में ही माना जाता है। एलएलपी भी रिटर्न की कोई अलग श्रेणी नहीं है लेकिन इसे फर्मों के आयकर रिटर्न (आईटीआर) के अतंर्गत कवर किया जाता है।

(ग): एकल स्वामियों (सोल प्रोपराइटर्स), एलएलपी और कॉरपोरेट्स (घरेलू कंपनियां) के लिए लागू अधिकतम कर दर पिछले आठ निर्धारण वर्षों में 30% रही है। हालांकि उपर्युक्त श्रेणियों से संबंधित अधिभार और उपकर में मामूली अंतर रहा है। चूंकि एकल स्वामियों (सोल प्रोप्राइटर्स) एलएलपी और कॉरपोरेट्स के व्यापारिक एवं संगठनात्मक संरचनाओं में अंतर होता है और उनकी अनुपालन, विनियामक और प्रशासनिक आवश्यकताएं भिन्न-भिन्न होती हैं अतः व्यक्तियों, एलएलपी और कॉरपोरेट्स के लाभों पर कर लगाए जाने का तरीका भी अलग-अलग होता है और इसीलिए उन पर लागू कर की दरों की आपस में तुलना नहीं की जा सकती है।

(घ): अधिभार और उपकर के तहत किए जाने वाले राजस्व संग्रह को वापस लिए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि, यह देखा जा सकता है कि वित्त विधेयक, 2023 में यह प्रस्ताव किया गया है कि किसी व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार या व्यक्तियों के समुदाय या व्यक्तियों के निकाय, चाहे यह निगमित हो या नहीं, या कोई कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, जो कि आयकर अधिनियम की धारा 2 के उपवाक्य (31) के उप उपवाक्य (vii) के अतंर्गत संदर्भित हो, जिनकी कुल आय 5 करोड़ रु. से अधिक हो और जहां ऐसी आय पर आयकर अधिनियम की धारा 115 खकग की उप-धारा (1क) के अतंर्गत कर लगाया जाता हो, पर लागू अधिभार को सैंतीस प्रतिशत से कम करके पच्चीस प्रतिशत कर दिया जाए।

*****

अनुबंध I

वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2020-21 के करदाताओं की कुल संख्या

करदाताओं की कुल संख्या	वित्तीय वर्ष 2014-15	वित्तीय वर्ष 2015-16	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21
कॉर्पोरेट कर	7,29,363	7,71,802	7,95,533	8,44,535	8,88,132	9,20,523	9,67,054
व्यक्तिगत कर	4,35,09,915	5,10,33,832	5,24,26,386	6,20,53,707	6,85,44,351	6,61,86,940	6,84,40,784
कुल योग	4,42,39,278	5,18,05,634	5,32,21,919	6,28,98,242	6,94,32,483	6,71,07,463	6,94,07,838

निर्धारण वर्ष 2015-16 से निर्धारण वर्ष 2021-22 के व्यक्तियों की श्रेणी के तहत आने वाले करदाताओं की कुल संख्या

व्यक्तिगत आयकर	निर्धारण वर्ष 2015-16	निर्धारण वर्ष 2016-17	निर्धारण वर्ष 2017-18	निर्धारण वर्ष 2018-19	निर्धारण वर्ष 2019-20	निर्धारण वर्ष 2020-21	निर्धारण वर्ष 2021-22
0 से 5 लाख	32371825	38729007	38571146	44464878	49879348	46327410	41160543
5 से 10 लाख	5334381	6592839	7660969	10333646	10626410	11228574	14074602
10 लाख से ऊपर	2254532	3027776	3493040	4229708	4854198	5411934	8103067
कुल योग	39960738	48349622	49725155	59028232	65359956	62967918	63338212

*वित्त वर्ष 2021-22 (निर्धारण वर्ष 2022-23) के डाटा का संकलन किया जा रहा है क्योंकि संशोधित रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31.12.2022 थी।

वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2021-22 तक कॉर्पोरेट कर और व्यक्तिगत आयकर का संग्रह

(करोड़ रुपए में)

कर शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2014-15	वित्तीय वर्ष 2015-16	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22
कॉर्पोरेट कर	428924.74	453228.33	484923.85	571201.87	663571.62	556875.52	457718.97	712037.33
आयकर	258371.12	280100.96	340592.16	408202.68	461651.72	480343.15	470633.32	673413.5

पिछले आठ वर्षों के लिए एकल स्वामित्व, एलएलपी और कारपोरेट कर के व्यवसाय के लिए भिन्न कर स्लैब:

1. वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2014 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 (निर्धारण वर्ष 2015-16) के लिए कर की दरें।

क. एकल स्वामित्व व्यवसाय अर्थात व्यक्ति के लिए कर स्लैब

निवल कर सीमा	वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिक के अलावा	वरिष्ठ नागरिक (जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 60 वर्ष या उससे अधिक हो)	अति वरिष्ठ नागरिक (जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक है)
2,50,000 रू. तक	शून्य	शून्य	शून्य
2,50,000 रू. से 3,00,000 रू. तक	10%	शून्य	शून्य
3,00,000 रू. से 5,00,000 रू. तक	10%	10%	शून्य
5,00,000 रू. से 10,00,000 रू. तक	20%	20%	20%
10,00,000 रू. से ऊपर	30%	30%	30%

अधिभार : आयकर का 10 प्रतिशत, यदि कर योग्य आय 1 करोड़ रूपए से अधिक है (अधिभार देय है चाहे करदाता निवासी या अनिवासी हो)। यह मामूली राहत के अधीन है।

शिक्षा उपकर : आयकर और अधिभार का 2%

माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर : आयकर और अधिभार का 1%

ख. पार्टनरशिप फर्मों/एलएलपी के लिए कर की दरें

निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए, एक साझेदारी फर्म (एलएलपी सहित) 30% दर पर कर योग्य है

अधिभार : आयकर का 10 प्रतिशत, यदि कर योग्य आय 1 करोड़ रूपए से अधिक है। यह मामूली राहत के अधीन है।

शिक्षा उपकर : आयकर का 2% और अधिभार

माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर : आयकर का 1% और अधिभार

ग. कंपनियों के लिए कर की दरें

वर्ग	कर की दरें
घरेलू कंपनी	30%
घरेलू कंपनी के अलावा	
i) 31 मार्च, 1961 के बाद लेकिन 1 अप्रैल, 1976 से पहले सरकार या एक भारतीय समुत्थान के साथ किए गए समझौते के अनुसरण में, सरकार या एक भारतीय समुत्थान से प्राप्त रॉयल्टी; या 29 फरवरी, 1964 के बाद, लेकिन 1 अप्रैल, 1976 से पहले सरकार या एक भारतीय समुत्थान के साथ किए गए समझौते के अनुसरण में सरकार या एक भारतीय समुत्थान से प्राप्त तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए शुल्क और जहां इस तरह के समझौते को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।	50%
ii) कोई अन्य आय	40%

अधिभार

i. घरेलू कंपनी के मामले में निगम कर का 5% और घरेलू कंपनी के अलावा के मामले में 2% (यदि कर योग्य आय 1 करोड़ रूपए से अधिक है, लेकिन 10 करोड़ रूपए से अधिक नहीं है)।

ii. घरेलू कंपनी के मामले में निगम कर का 10% और घरेलू कंपनी के अलावा के मामले में 5% (यदि कर योग्य आय 10 करोड़ रूपए से अधिक है)। यह मामूली राहत के अधीन है।

शिक्षा उपकर : कर का 2% और अधिभार

माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर : कर का 1% और अधिभार

2. वित्त अधिनियम, 2015 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 (निर्धारण वर्ष 2016-17) के लिए कर की दरें।

क. एकल स्वामित्व व्यवसाय अर्थात व्यक्ति के लिए कर स्लैब

निवल कर सीमा	वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिक के अलावा	वरिष्ठ नागरिक (जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 60 वर्ष या उससे अधिक हो)	अति वरिष्ठ नागरिक (जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक है)
2,50,000 रू. तक	शून्य	शून्य	शून्य
2,50,000 रू. से 3,00,000 रू. तक	10%	शून्य	शून्य
3,00,000 रू. से 5,00,000 रू. तक	10%	10%	शून्य
5,00,000 रू. से 10,00,000 रू. तक	20%	20%	20%
10,00,000 रू. से ऊपर	30%	30%	30%

अधिभार : आयकर का 12 प्रतिशत, यदि कर योग्य आय 1 करोड़ रूपए से अधिक है (अधिभार देय है चाहे करदाता निवासी या अनिवासी हो)। यह मामूली राहत के अधीन है।

शिक्षा उपकर : आयकर का 2% और अधिभार

माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर : आयकर का 1% और अधिभार

ख. पार्टनरशिप फर्मों/एलएलपी के लिए कर की दरें

निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए, एक साझेदारी फर्म (एलएलपी सहित) 30%की दर पर कर योग्य है

अधिभार : आयकर का 12 प्रतिशत, यदि कर योग्य आय 1 करोड़ रूपए से अधिक है। यह मामूली राहत के अधीन है।

शिक्षा उपकर : आयकर का 2% और अधिभार

माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर : आयकर का 1% और अधिभार

ग. कंपनियों के लिए कर की दरें

वर्ग	कर की दरें
घरेलू कंपनी	30%
घरेलू कंपनी के अलावा	
i) 31 मार्च, 1961 के बाद लेकिन 1 अप्रैल, 1976 से पहले सरकार या एक भारतीय समुत्थान के साथ किए गए समझौते के अनुसरण में, सरकार या एक भारतीय समुत्थान से प्राप्त रॉयल्टी; या 29 फरवरी, 1964 के बाद, लेकिन 1 अप्रैल, 1976 से पहले सरकार या एक भारतीय समुत्थान के साथ किए गए समझौते के अनुसरण में सरकार या एक भारतीय समुत्थान से प्राप्त तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए शुल्क और जहां इस तरह के समझौते को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।	50%
ii) कोई अन्य आय	40%

अधिभार

i. घरेलू कंपनी के मामले में निगम कर का 7% और घरेलू कंपनी के अलावा के मामले में 2% (यदि कर योग्य आय 1 करोड़ रूपए से अधिक है लेकिन 10 करोड़ रूपए से अधिक नहीं है)।

ii. घरेलू कंपनी के मामले में निगम कर का 12% और घरेलू कंपनी के अलावा के मामले में 5% (यदि कर योग्य आय 10 करोड़ रूपए से अधिक है)। यह मामूली राहत के अधीन है।

शिक्षा उपकर : कर का 2% और अधिभार

माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर : कर का 1% और अधिभार

3. वित्त अधिनियम, 2016 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 (निर्धारण वर्ष 2017-18) के लिए कर की दरें।

क. एकल स्वामित्व व्यवसाय अर्थात व्यक्ति के लिए कर स्लैब

निवल कर सीमा	वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिक के अलावा	वरिष्ठ नागरिक (जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 60 वर्ष या उससे अधिक हो)	अति वरिष्ठ नागरिक (जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक है)
2,50,000 रू. तक	शून्य	शून्य	शून्य
2,50,000 रू. से 3,00,000 रू. तक	10%	शून्य	शून्य
3,00,000 रू. से 5,00,000 रू. तक	10%	10%	शून्य
5,00,000 रू. से 10,00,000 रू. तक	20%	20%	20%
10,00,000 रू. से ऊपर	30%	30%	30%

अधिभार : आयकर का 15 प्रतिशत, यदि कर योग्य आय 1 करोड़ रूपए से अधिक है (अधिभार देय है चाहे करदाता निवासी या अनिवासी हो)। यह मामूली राहत के अधीन है।

शिक्षा उपकर : आयकर का 2% और अधिभार

माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर : आयकर का 1% और अधिभार

ख. पार्टनरशिप फर्मों/एलएलपी के लिए कर की दरें

निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए, एक साझेदारी फर्म (एलएलपी सहित) 30% दर पर कर योग्य है

अधिभार : आयकर का 12 प्रतिशत, यदि कर योग्य आय 1 करोड़ रूपए से अधिक है। यह मामूली राहत के अधीन है।

शिक्षा उपकर : आयकर का 2% और अधिभार

माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर : आयकर का 1% और अधिभार

ग. कंपनियों के लिए कर की दरें

वर्ग	कर की दरें
घरेलू कंपनी	30%*
घरेलू कंपनी के अलावा	
i) 31 मार्च, 1961 के बाद लेकिन 1 अप्रैल, 1976 से पहले सरकार या एक भारतीय समुत्थान के साथ किए गए समझौते के अनुसरण में, सरकार या एक भारतीय समुत्थान से प्राप्त रॉयल्टी; या 29 फरवरी, 1964 के बाद, लेकिन 1 अप्रैल, 1976 से पहले सरकार या एक भारतीय समुत्थान के साथ किए गए समझौते के अनुसरण में सरकार या एक भारतीय समुत्थान से प्राप्त तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए शुल्क और जहां इस तरह के समझौते को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।	50%
ii) कोई अन्य आय	40%

*** निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए 29 प्रतिशत (जहां पिछले वर्ष 2014-15 के दौरान कुल कारोबार या सकल प्राप्ति 5 करोड़ रूपए से अधिक नहीं है)।**

अधिभार

i. घरेलू कंपनी के मामले में निगम कर का 7% और घरेलू कंपनी के अलावा के मामले में 2% (यदि कर योग्य आय 1 करोड़ रूपए से अधिक है लेकिन 10 करोड़ रूपए से अधिक नहीं है)।

ii. घरेलू कंपनी के मामले में निगम कर का 12% और घरेलू कंपनी के अलावा के मामले में 5% (यदि कर योग्य आय 10 करोड़ रूपए से अधिक है)। यह मामूली राहत के अधीन है।

शिक्षा उपकर : कर का 2% और अधिभार

माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर : कर का 1% और अधिभार

4. <u>वित्त अधिनियम, 2017 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 (निर्धारण वर्ष 2018-19) के लिए कर की दरें।</u>

क. एकल स्वामित्व व्यवसाय अर्थात व्यक्ति के लिए कर स्लैब

निवल कर सीमा	वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिक के अलावा	वरिष्ठ नागरिक (जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 60 वर्ष या उससे अधिक हो)	अति वरिष्ठ नागरिक (जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक है)
2,50,000 रू. तक	शून्य	शून्य	शून्य
2,50,000 रू. से 3,00,000 रू. तक	5%	शून्य	शून्य
3,00,000 रू. से 5,00,000 रू. तक	5%	5%	शून्य
5,00,000 रू. से 10,00,000 रू. तक	20%	20%	20%
10,00,000 रू. से ऊपर	30%	30%	30%

<u>अधिभार:</u> आयकर का 10 प्रतिशत, यदि कर योग्य आय से अधिक है। 50 लाख रूपए या आयकर के 15 प्रतिशत, यदि कर योग्य आय 1 करोड़ रूपए से अधिक है। (अधिभार देय है चाहे करदाता निवासी या अनिवासी हो)। यह मामूली राहत के अधीन है।

<u>शिक्षा उपकर :</u> आयकर का 2% और अधिभार

<u>माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर :</u> आयकर का 1% और अधिभार

ख. <u>पार्टनरशिप फर्मों/एलएलपी के लिए कर की दरें</u>

निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए, एक साझेदारी फर्म (एलएलपी सहित) 30% दर पर कर योग्य है

<u>अधिभार :</u> आयकर का 12 प्रतिशत, यदि कर योग्य आय 1 करोड़ रूपए से अधिक है। यह मामूली राहत के अधीन है।

<u>शिक्षा उपकर :</u> आयकर का 2% और अधिभार

<u>माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर</u> : आयकर का 1% और अधिभार

ग. <u>कंपनियों के लिए कर की दरें</u>

<u>वर्ग</u>	<u>कर की दरें</u>
घरेलू कंपनी	<u>30%*</u>
घरेलू कंपनी के अलावा	
i) 31 मार्च, 1961 के बाद लेकिन 1 अप्रैल, 1976 से पहले सरकार या एक भारतीय समुत्थान के साथ किए गए समझौते के अनुसरण में, सरकार या एक भारतीय समुत्थान से प्राप्त रॉयल्टी; या 29 फरवरी, 1964 के बाद, लेकिन 1 अप्रैल, 1976 से पहले सरकार या एक भारतीय समुत्थान के साथ किए गए समझौते के अनुसरण में सरकार या एक भारतीय समुत्थान से प्राप्त तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए शुल्क और जहां इस तरह के समझौते को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।	<u>50%</u>
ii) कोई अन्य आय	<u>40%</u>

*** निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए 25 प्रतिशत (जहां पिछले वर्ष 2015-16 के दौरान कुल कारोबार या सकल प्राप्ति 50 करोड़ रूपए से अधिक नहीं है)।**

<u>अधिभार</u>

i. घरेलू कंपनी के मामले में निगम कर का 7% और घरेलू कंपनी के अलावा के मामले में 2% (यदि कर योग्य आय 1 करोड़ रूपए से अधिक है लेकिन 10 करोड़ रूपए से अधिक नहीं है)।

ii. घरेलू कंपनी के मामले में निगम कर का 12% और घरेलू कंपनी के अलावा के मामले में 5% (यदि कर योग्य आय 10 करोड़ रूपए से अधिक है)। यह मामूली राहत के अधीन है।

<u>शिक्षा उपकर :</u> कर का 2% और अधिभार

<u>माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर :</u> कर का 1% और अधिभार

5. वित्त अधिनियम, 2018 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 (निर्धारण वर्ष 2019-20) के लिए कर की दरें।

क. एकल स्वामित्व व्यवसाय अर्थात व्यक्ति के लिए कर स्लैब

निवल कर सीमा	वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिक के अलावा	वरिष्ठ नागरिक (जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 60 वर्ष या उससे अधिक हो)	अति वरिष्ठ नागरिक (जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक है)
2,50,000 रू. तक	शून्य	शून्य	शून्य
2,50,000 रू. से 3,00,000 रू. तक	5%	शून्य	शून्य
3,00,000 रू. से 5,00,000 रू. तक	5%	5%	शून्य
5,00,000 रू. से 10,00,000 रू. तक	20%	20%	20%
10,00,000 रू. से ऊपर	30%	30%	30%

अधिभार: आयकर का 10_प्रतिशत, यदि कर योग्य आय से अधिक है। 50 लाख रूपए या आयकर के 15 प्रतिशत, यदि कर योग्य आय 1 करोड़ रूपए से अधिक है। (अधिभार देय है चाहे करदाता निवासी या अनिवासी हो)। यह मामूली राहत के अधीन है।

स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर: आयकर का **4 %** और अधिभार

ख. पार्टनरशिप फर्मों/एलएलपी के लिए कर की दरें

निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए, एक साझेदारी फर्म (एलएलपी सहित) 30% की दर पर कर योग्य है।

अधिभार : आयकर का 12 प्रतिशत, यदि कर योग्य आय 1 करोड़ रूपए से अधिक है। यह मामूली राहत के अधीन है।

स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर: आयकर का **4 %** और अधिभार

ग. कंपनियों के लिए कर की दरें

वर्ग	कर की दरें
घरेलू कंपनी	30%*
घरेलू कंपनी के अलावा	
i) 31 मार्च, 1961 के बाद लेकिन 1 अप्रैल, 1976 से पहले सरकार या एक भारतीय समुत्थान के साथ किए गए समझौते के अनुसरण में, सरकार या एक भारतीय समुत्थान से प्राप्त रॉयल्टी; या 29 फरवरी, 1964 के बाद, लेकिन 1 अप्रैल, 1976 से पहले सरकार या एक भारतीय समुत्थान के साथ किए गए समझौते के अनुसरण में सरकार या एक भारतीय समुत्थान से प्राप्त तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए शुल्क और जहां इस तरह के समझौते को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।	50%
ii) कोई अन्य आय	40%

*** निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए 25 प्रतिशत (जहां पिछले वर्ष 2016-17 के दौरान कुल कारोबार या सकल प्राप्ति 250 करोड़ रूपए से अधिक नहीं है)।**

अधिभार

i. घरेलू कंपनी के मामले में निगम कर का 7% और घरेलू कंपनी के अलावा के मामले में 2% (यदि कर योग्य आय 1 करोड़ रूपए से अधिक है लेकिन 10 करोड़ रूपए से अधिक नहीं है)।

ii. घरेलू कंपनी के मामले में निगम कर का 12% और घरेलू कंपनी के अलावा के मामले में 5% (यदि कर योग्य आय 10 करोड़ रूपए से अधिक है)। यह मामूली राहत के अधीन है।

स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर: कर का **4 %** और अधिभार

6. वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 (निर्धारण वर्ष 2020-21) के लिए कर की दरें।

क. एकल स्वामित्व व्यवसाय अर्थात व्यक्ति के लिए कर स्लैब

निवल कर सीमा	वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिक के अलावा	वरिष्ठ नागरिक (जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 60 वर्ष या उससे अधिक हो)	अति वरिष्ठ नागरिक (जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक है)
2,50,000 रू. तक	शून्य	शून्य	शून्य
2,50,000 रू. से 3,00,000 रू. तक	5%	शून्य	शून्य
3,00,000 रू. से 5,00,000 रू. तक	5%	5%	शून्य
5,00,000 रू. से 10,00,000 रू. तक	20%	20%	20%
10,00,000 रू. से ऊपर	30%	30%	30%

अधिभार: आयकर का 10 प्रतिशत, यदि कर योग्य आय 50 लाख रूपए से अधिक है लेकिन 1 करोड़ रूपए से अधिक नहीं है, या आयकर का 15 प्रतिशत, यदि कर योग्य आय 1 करोड़ रूपए से अधिक है लेकिन 2 करोड़ रूपए से अधिक नहीं है या आयकर का 25 प्रतिशत, यदि कर योग्य आय 2 करोड़ रूपए से अधिक है लेकिन 5 करोड़ रूपए से अधिक नहीं है या आयकर का 37 प्रतिशत, यदि कर योग्य आय 5 करोड़ रूपए से अधिक है (अधिभार देय है चाहे करदाता निवासी या अनिवासी हो)। यह मामूली राहत के अधीन है।

स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर: आयकर का **4 %** और अधिभार

ख. पार्टनरशिप फर्मों/एलएलपी के लिए कर की दरें

निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए, एक साझेदारी फर्म (एलएलपी सहित) 30% दर पर कर योग्य है

अधिभार : आयकर का 12 प्रतिशत, यदि कर योग्य आय 1 करोड़ रूपए से अधिक है। यह मामूली राहत के अधीन है।

स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर: आयकर का **4 %** और अधिभार

ग. कंपनियों के लिए कर की दरें

वर्ग	कर की दरें
घरेलू कंपनी	30%*
घरेलू कंपनी के अलावा	
i) 31 मार्च, 1961 के बाद लेकिन 1 अप्रैल, 1976 से पहले सरकार या एक भारतीय समुत्थान के साथ किए गए समझौते के अनुसरण में, सरकार या एक भारतीय समुत्थान से प्राप्त रॉयल्टी; या 29 फरवरी, 1964 के बाद, लेकिन 1 अप्रैल, 1976 से पहले सरकार या एक भारतीय समुत्थान के साथ किए गए समझौते के अनुसरण में सरकार या एक भारतीय समुत्थान से प्राप्त तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए शुल्क और जहां इस तरह के समझौते को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।	50%
ii) कोई अन्य आय	40%

*** निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए 25 प्रतिशत (जहां पिछले वर्ष 2017-18 के दौरान कुल कारोबार या सकल प्राप्ति 400 करोड़ रूपए से अधिक नहीं है)।**

अधिभार

i. घरेलू कंपनी के मामले में निगम कर का 7% और घरेलू कंपनी के अलावा के मामले में 2% (यदि कर योग्य आय 1 करोड़ रूपए से अधिक है लेकिन 10 करोड़ रूपए से अधिक नहीं है)।

ii. घरेलू कंपनी के मामले में निगम कर का 12% और घरेलू कंपनी के अलावा के मामले में 5% (यदि कर योग्य आय 10 करोड़ रूपए से अधिक है)। (यह मामूली राहत के अधीन है।)

स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर: कर का **4 %** और अधिभार

7. वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 (निर्धारण वर्ष 2021-22) के लिए कर की दरें।

क. एकल स्वामित्व व्यवसाय अर्थात व्यक्ति के लिए कर स्लैब

निवल कर सीमा	वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिक के अलावा	वरिष्ठ नागरिक (जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 60 वर्ष या उससे अधिक हो)	अति वरिष्ठ नागरिक (जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक है)
2,50,000 रू. तक	शून्य	शून्य	शून्य
2,50,000 रू. से 3,00,000 रू. तक	5%	शून्य	शून्य
3,00,000 रू. से 5,00,000 रू. तक	5%	5%	शून्य
5,00,000 रू. से 10,00,000 रू. तक	20%	20%	20%
10,00,000 रू. से ऊपर	30%	30%	30%

धारा 115खकग के तहत कर की दर (नई व्यवस्था)

निवल कर सीमा	कर की दर
2,50,000 रू. तक	शून्य
2,50,001 रू. से 5,00,000 रू. तक	5%
5,00,001 रू. से 7,50,000 रू. तक	10%
7,50,001 रू. से 10,00,000 रू. तक	15%
10,00,001 रू. से 12,50,000 रू. तक	20%
12,50,001 रू. से 15,00,000 रू. तक	25%
15,00,000 रू. से ऊपर	30%

अधिभार: आयकर का 10_प्रतिशत, यदि कर योग्य आय 50 लाख रूपए से अधिक है लेकिन 1 करोड़ रूपए से अधिक नहीं है, या आयकर का 15 प्रतिशत, यदि कर योग्य आय 1 करोड़ रूपए से अधिक है लेकिन 2 करोड़ रूपए से अधिक नहीं है या आयकर का 25 प्रतिशत, यदि कर योग्य आय 2 करोड़ रूपए से अधिक है लेकिन 5 करोड़ रूपए से अधिक नहीं है या आयकर का 37 प्रतिशत, यदि कर योग्य आय 5 करोड़ रूपए से अधिक है (अधिभार देय है चाहे करदाता निवासी या अनिवासी हो)। यह मामूली राहत के अधीन है।

स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर: आयकर का **4 %** और अधिभार

ख. पार्टनरशिप फर्मों/एलएलपी के लिए कर की दरें

निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए, एक साझेदारी फर्म (एलएलपी सहित) 30% दर पर कर योग्य है

अधिभार : आयकर का 12 प्रतिशत, यदि कर योग्य आय 1 करोड़ रूपए से अधिक है। यह मामूली राहत के अधीन है।

स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर: आयकर का **4 %** और अधिभार

ग. कंपनियों के लिए कर की दरें

वर्ग	कर की दरें
घरेलू कंपनी	30%*
घरेलू कंपनी के अलावा	
i) 31 मार्च, 1961 के बाद लेकिन 1 अप्रैल, 1976 से पहले सरकार या एक भारतीय समुत्थान के साथ किए गए समझौते के अनुसरण में, सरकार या एक भारतीय समुत्थान से प्राप्त रॉयल्टी; या 29 फरवरी, 1964 के बाद, लेकिन 1 अप्रैल, 1976 से पहले सरकार या एक भारतीय समुत्थान के साथ किए गए समझौते के अनुसरण में सरकार या एक भारतीय समुत्थान से प्राप्त तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए शुल्क और जहां इस तरह के समझौते को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।	50%
ii) कोई अन्य आय	40%

*** निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए 25 प्रतिशत (जहां पिछले वर्ष 2018-19 के दौरान कुल कारोबार या सकल प्राप्ति 400 करोड़ रूपए से अधिक नहीं है)।**

अधिभार

i. घरेलू कंपनी के मामले में निगम कर का 7% और घरेलू कंपनी के अलावा के मामले में 2% (यदि कर योग्य आय 1 करोड़ रूपए से अधिक है लेकिन 10 करोड़ रूपए से अधिक नहीं है)।

ii. घरेलू कंपनी के मामले में निगम कर का 12% और घरेलू कंपनी के अलावा के मामले में 5% (यदि कर योग्य आय 10 करोड़ रूपए से अधिक है)।

(यह मामूली राहत के अधीन है।)

स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर: कर का **4 %** और अधिभार

8. वित्त अधिनियम, 2021 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 (निर्धारण वर्ष 2022-23) के लिए कर की दरें।

क. एकल स्वामित्व व्यवसाय अर्थात व्यक्ति के लिए कर स्लैब

निवल कर सीमा	वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिक के अलावा	वरिष्ठ नागरिक (जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 60 वर्ष या उससे अधिक हो)	अति वरिष्ठ नागरिक (जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक है)
2,50,000 रू. तक	शून्य	शून्य	शून्य
2,50,000 रू. से 3,00,000 रू.तक	5%	शून्य	शून्य
3,00,000 रू. से 5,00,000 रू.तक	5%	5%	शून्य
5,00,000 रू. से 10,00,000 रू.तक	20%	20%	20%
10,00,000 रू.से ऊपर	30%	30%	30%

धारा 115खकग के तहत कर की दर (नई व्यवस्था)

निवल कर सीमा	कर की दर
2,50,000 रू. तक	शून्य
2,50,001 रु. से 5,00,000 रू. तक	5%
5,00,001 रु. से 7,50,000 रू. तक	10%
7,50,001 रु. से 10,00,000 रू. तक	15%
10,00,001 रु. से 12,50,000 रू. तक	20%
12,50,001 रु. से 15,00,000	25%
15,00,000 रू. से ऊपर	30%

अधिभार: आयकर का 10_प्रतिशत, यदि कर योग्य आय 50 लाख रूपए से अधिक है लेकिन 1 करोड़ रूपए से अधिक नहीं है, या आयकर का 15 प्रतिशत, यदि कर योग्य आय 1 करोड़ रूपए से अधिक है लेकिन 2 करोड़ रूपए से अधिक नहीं है या आयकर का 25 प्रतिशत, यदि कर योग्य आय 2 करोड़ रूपए से अधिक है लेकिन 5 करोड़ रूपए से अधिक नहीं है या आयकर का 37 प्रतिशत, यदि कर योग्य आय 5 करोड़ रूपए से अधिक है (अधिभार देय है चाहे करदाता निवासी या अनिवासी हो)। यह मामूली राहत के अधीन है।

स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर: आयकर का **4 %** और अधिभार

ख. पार्टनरशिप फर्मों/एलएलपी के लिए कर की दरें

निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए, एक साझेदारी फर्म (एलएलपी सहित) 30% दर पर कर योग्य है

अधिभार : आयकर का 12 प्रतिशत, यदि कर योग्य आय 1 करोड़ रूपए से अधिक है। यह मामूली राहत के अधीन है।

स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर: आयकर का **4 %** और अधिभार

ग. कंपनियों के लिए कर की दरें

वर्ग	कर की दरें
घरेलू कंपनी	30%*
घरेलू कंपनी के अलावा	
i) 31 मार्च, 1961 के बाद लेकिन 1 अप्रैल, 1976 से पहले सरकार या एक भारतीय समुत्थान के साथ किए गए समझौते के अनुसरण में, सरकार या एक भारतीय समुत्थान से प्राप्त रॉयल्टी; या 29 फरवरी, 1964 के बाद, लेकिन 1 अप्रैल, 1976 से पहले सरकार या एक भारतीय समुत्थान के साथ किए गए समझौते के अनुसरण में सरकार या एक भारतीय समुत्थान से प्राप्त तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए शुल्क और जहां इस तरह के समझौते को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।	50%
ii) कोई अन्य आय	40%

*** निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए 25 प्रतिशत (जहां पिछले वर्ष 2019-20 के दौरान कुल कारोबार या सकल प्राप्ति 400 करोड़ रूपए से अधिक नहीं है)।**

अधिभार

i. घरेलू कंपनी के मामले में निगम कर का 7% और घरेलू कंपनी के अलावा के मामले में 2% (यदि कर योग्य आय 1 करोड़ रूपए से अधिक है लेकिन 10 करोड़ रूपए से अधिक नहीं है)।

ii. घरेलू कंपनी के मामले में निगम कर का 12% और घरेलू कंपनी के अलावा के मामले में 5% (यदि कर योग्य आय 10 करोड़ रूपए से अधिक है)। (यह मामूली राहत के अधीन है।)

स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर: कर का **4 %** और अधिभार

9. घरेलू कंपनी के लिए लागू विशेष कर की दरें

घरेलू कंपनियों के मामले में लागू विशेष आयकर दरों का विकल्प निम्नांकित निर्धारण वर्ष से प्रभावी है:

निर्धारण वर्ष	**धारा**	**लागू दर**
निर्धारण वर्ष 2017-18	धारा 115 खक	25%
निर्धारण वर्ष 2020-21	धारा 115खकक	22%
निर्धारण वर्ष 2020-21	धारा 115खकख	15%

अधिभार : धारा 115खकक या धारा 115 खकख के तहत करदेयता का विकल्प चुनने वाली कंपनी के मामले में अधिभार की दर कुल आय की राशि पर ध्यान दिए बिना 10% होगी।

स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर: कर का **4 %** और अधिभार

*****